This question paper contains 8+4+2 printed pages

Your Roll No.

2074

LL.B./I Term

D

Paper LB-105—FAMILY LAW—I

Time: 3 Hours

Maximum Marks: 100

(Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.)

Note:— Answers may be written either in English or in Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

टिप्पणी: इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेज़ी या हिन्दी किसी एक भाषा में दीजिए; लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए ।

Attempt any Five questions.

All questions carry equal marks.

किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर लिखिए ।

सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

P.T.O.

- Discuss the validity of the following marriages under the Hindu
 Marriage Act, 1955 and also under Muslim law :
 - (a) H marries W who is his son's divorced wife.
 - (b) H marries W who is his elder brother's pregnant widow.
 - (c) H marries W who is his paternal grand father's brother's daughter's daughter.
 - (d) H marries W within one month of the death of W's first husband.

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 और मुस्लिम विधि के अन्तर्गत निम्नलिखित विवाहों की विधिमान्यता का विवेचन कीजिए :

(a) W से H विवाह करता है जोकि उसके पुत्र की तलाकशुदा
पत्नी है।

- (b) W से H विवाह करता है जोकि उसके बड़े भाई की गर्भवती विधवा है।
- (c) W से H विवाह करता है जोिक उसके पितामह के भाई की पुत्री की पुत्री है।
- (d) W से H उसके प्रथम पित की मृत्यु के एक मास के अंदर विवाह करता है।
- 2. Anuj, aged 20 years, was married to Manju, aged 17 years in 2008, In 2010, Anuj changed his religion to Islam and gets married to a Muslim girl as per Muslim law. Manju initiated prosecution proceedings against Anuj for the offence of bigamy. Anuj pleaded he cannot be prosecuted for bigamy as:
 - (i) his marriage to Manju was in violation of Prohibition of
 Child Marriages Act, 2006

- (ii) at the time of second marriage he was a Muslim which permits bigamy, and
- (iii) the second marriage was not solemnized as per Section7 of the Hindu Marriage Act.

Decide with reference of statutory provisions and case law, if any.

20 वर्षीय अनुज ने 2008 में 17 वर्षीय मंजु के साथ विवाह किया । अनुज ने 2010 में धर्म परिवर्तन करके इस्लाम अपना लिया तथा मुस्लिम विधि के अनुसार एक मुस्लिम लड़की से विवाह कर लिया । मंजु ने द्विविवाह के अपराध के लिए अनुज के विरुद्ध अभियोजन कार्यवाही प्रारंभ कर दी । अनुज ने अभिवाक किया, उस पर द्विविवाह के लिए अभियोग नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि :

(i) मंजु के साथ उसका विवाह बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के उल्लंघन में हुआ था ।

- (ii) दूसरे विवाह के समय वह मुस्लिम था जिसको द्विविवाह की अनुमति है, और
- (iii) दूसरा विवाह हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 7 के अनुसार अनुष्ठापित नहीं हुआ था ।

कानूनी उपबन्धों और निर्णय विधि, यदि कोई है, के निर्देश सहित विनिश्चय कीजिए ।

Amit married Sunita according to Hindu rites. They were introduced to each other by a common friend. Amit visited Sunita's house several times before marriage and was greeted with respect and honour. A year later he discovered that Sunita had given birth to a child before marriage as a result of an illicit relations with her former boyfriend. The child was later given in adoption to a family friend. Amit feels cheated. What legal remedies are available to him?

अमित ने सुनीता के साथ हिन्दू रीतिरिवाजों के अनुसार विवाह किया । एक सांझे मित्र ने उनका एक-दूसरे से परिचय कराया था । विवाह से पूर्व अमित सुनीता के घर अनेक बार गया था तथा उसका आदर सम्मान के साथ स्वागत किया गया था । एक वर्ष बाद उसे पता चला कि अपने पूर्व के प्रेमी के साथ अवैध सम्बन्धों के परिणामस्वरूप सुनीता ने विवाह पूर्व एक बच्चे को जन्म दिया था । बाद में बच्चे का एक पारिवारिक मित्र द्वारा दत्तक ग्रहण कर लिया गया । अमित छला गया महसूस करता था । उसको क्या विधिक उपचार स्लभ हैं ?

- 4. Explain the essentials for the remedy of 'restitution of conjugal rights' and discuss :
 - (i) Whether gainful employment of the wife at a place different from the place of residence of the husband would amount to a reasonable excuse under Section 9 of

the Hindu Marriage Act for her to withdraw from his society ?

- (ii) Would the second marriage of a Muslim husband be a reasonable excuse for the first wife to withdraw from his society?
- ''दाम्पत्याधिकारों का प्रत्यास्थापन'' के उपचार हेतु आवश्यक बातों को स्पष्ट कीजिए और विवेचन कीजिए कि :
- (i) पित के निवास के स्थान से भिन्न स्थान पर पत्नी का अभिलाभपूर्ण रोजगार क्या हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत उसके वास्ते पित के साहचर्य से प्रत्याहत करने के लिए युक्तियुक्त प्रतिहेतु समान होगा ?
- (ii) क्या एक मुस्लिम पित का दूसरा निकाह प्रथम पत्नी के वास्ते पित के साहचर्य से प्रत्याहृत करने के लिए युक्तियुक्त प्रतिहेतु होगा ?

5. (a) Manoj and Sarita married in 2005. However, two years later Manoj developed intimacy with Sudha and started living with her. Sarita applied for judicial separation

which was granted in her favour. After one year Manoj files a petition for divorce on the ground that since the grant of decree of judicial separation one year has passed and there has not been resumption of cohabitation. He also pleaded that since he is planning to marry Sudha with whom he is living, there is no point in protecting a dead relationship with Sarita and he be allowed divorce on ground of irretrievable breakdown of

मनोज और सरिता का 2005 में विवाह हुआ था।
मगर दो वर्ष बाद मनोज ने सुधा के साथ निकटता
विकसित कर ली तथा उसके साथ रहना शुरू कर दिया।

marriage. Decide.

सरिता ने न्यायिक पृथक्करण हेतु अर्ज़ी दी जो उसके पक्ष में मंजुर हो गई । एक वर्ष बाद मनोज ने इस आधार पर तलाक हेत् याचिका फाइल की कि न्यायिक पृथक्करण की डिक्री की मंजूरी के समय से एक वर्ष व्यतीत हो गया है तथा सहवास का पुनरारंभ नहीं हुआ है । उसने यह अभिवाक् भी किया कि चूंकि वह सुधा के साथ, जिसके साथ वह रह रहा है, विवाह की योजना बना रहा है, अत: सरिता के साथ मृत सम्बन्धों को संरक्षण देने की कोई तुक नहीं है तथा उसे विवाह के असुधार्य ठप्प हो जाने के आधार पर तलाक की अनुमति दी जाए । विनिश्चय कीजिए

(9)

(b) Rohit and Rita were living separately for two years owing to incompatibility of their temperament. They filed a petition for divorce under Section 13B of the Hindu Marriage Act, 1955. However, after six months Rita

P.T.O.

refused to go to the court again with Rohit. Rohit prays to the court that divorce be granted to him on the basis of first petition. Decide.

रोहित और रीटा उनके स्वभाव के बेमेलपन के कारण दो वर्ष तक अलग रहे थे । उन्होंने हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13-B के अन्तर्गत विवाह-विच्छेद हेतु याचिका फाइल की, मगर छ: मास के बाद रीटा ने रोहित के साथ न्यायालय जाने से मना कर दिया । रोहित ने न्यायालय से विनती की कि उसे पहली याचिका के आधार पर विवाह-विच्छेद मंजूर किया जाए । विनिश्चय कीजिए ।

6. (a) Discuss the right of a person to take a child in adoption under the Provisions of Hindu Adoption and Maintenance

Act, 1956 and also under the Juvenile Justice (Care and Protection) Act, 2000.

हिन्दू दत्तक-ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के तथा किशोर न्याय (देखरेखं और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के उपबन्धों के अन्तर्गत किसी व्यक्ति के, बच्चे के दत्तक-ग्रहण करने के अधिकार का विवेचन कीजिए।

(b) Define natural guardian and discuss whether the mother can act as the natural guardian of a legitimate minor child during the life time of father.

नैसर्गिक संरक्षक को परिभाषित कीजिए तथा विवेचन कीजिए कि क्या पिता के जीवनकाल के दौरान किसी धर्मज अवयस्क बच्चे के नैसर्गिक संरक्षक के रूप में माता कार्य कर सकती है ? (a) Discuss the right of a divorced Muslim women to claim
maintenance from her former husband as per the codified
and uncodified Muslim Law.

संहिताबद्ध और असंहिताबद्ध मुस्लिम विधि के अनुसार किसी तलाकशुदा मुस्लिम स्त्री के अपने पूर्व पित से भरण-पोषण का दावा करने के अधिकार का विवेचन कीजिए ।

(b) In a fit of extreme anger, Shoaib pronounced talaq thrice to his wife. Later, he repented and wanted to resume cohabitation with her. Give legal advice to Shoaib for resuming lawful cohabitation with her.

अतिशय क्रोध के आवेग में शोएब ने अपनी पत्नी से तीन बार तलाक उद्घोषित कर दिया । बाद में वह पछताने लगा तथा उसके साथ सहवास का पुनरारंभ चाहने लगा । पत्नी के साथ विधिपूर्ण सहवास का पुनरारंभ करने हेतु शोएब को विधिक सलाह दीजिए । 8.

Surendra and his wife Sheela were staying in a joint family consisting of Surendra's parents and his two unmarried sisters. Sheela was made to work throughout the day and was constantly abused for bringing insufficient dowry. Unable to bear the torture any more, she left the matrimonial home and went to her natal home. When her parents visited Surendra's house, they were also abused by him and turned out of the house. After two years, Surendra files a petition for divorce on the ground of Sheela's desertion under the Hindu Marriage Act, 1955. Decide.

सुरेन्द्र और उसकी पत्नी शीला संयुक्त कुटुम्ब, जिसमें सुरेन्द्र के माता-पिता तथा उसकी दो अविवाहित बहनें भी हैं, में रह रहे थे । शीला से दिनभर काम कराया जाता था तथा अपर्याप्त दहेज लाने के लिए उसके साथ लगातार गाली-गलौच P.T.O. की जाती थी । इस यंत्रणा को और अधिक सहने में असमर्थ होने पर उसने दाम्पत्य गृह छोड़ दिया तथा अपने जन्म के गृह चली गई । जब उसके माता-पिता सुरेन्द्र के घर गए तो उनको भी गाली दी गई तथा उन्हें घर से निकाल दिया गया । दो वर्ष बाद सुरेन्द्र ने हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत शीला के अभित्यजन के आधार पर तलाक हेतु याचिका फाइल की । विनिश्चय कीजिए ।